

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :-F4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/७७६

दिनांक:- 30-1-1

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

विषय :- एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विभाग/कार्यालय में कार्यरत निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को द्वितीय/तृतीय एसीपी स्वीकृत करने हेतु प्राप्त प्रकरण में निम्न तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 के अनुसार कमियां पाई गई हैं। अतः आप सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार के प्रकरण में पाई गई कमी/आक्षेप की पूर्ति कर प्रकरण अविलम्ब इस विभाग को प्रेषित करने का श्रम करावें :-

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	मेरिट नम्बर	पदस्थापन कार्यालय	आक्षेप का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री सूरजभान भाटी	548/83	उपकोषाधिकारी, लूणकरणसर (बीकानेर)	वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2009-10 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त।
2.	श्री रतन सिंह	210/94	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हनुमागढ़	कार्मिक के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 570/2013 के अन्तिम निस्तारण संबंधी सूचना अप्राप्त
3.	श्री जयप्रकाश लिम्बोरिया	251/86	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत झुंझुनूं	वर्ष 1996-97, 2001-02 एवं 2002-03 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त।

भवदीय

(प्रदीप माथुर)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक :-F4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/७७६

दिनांक:- 30-1-1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।